Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में सरपंच, कनिष्ठ सहायक व ग्राम विकास अधिकारी 22 हजार 400 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सीकर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये मोहित सरपंच, विरेन्द्र तंवर ग्राम विकास अधिकारी व देवी सिंह कनिष्ठ सहायक समस्त ग्राम पंचायत रूल्याणी, पं. स. नेछवा, जिला सीकर को को परिवादी से 22,400 रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि अपना खेत अपना काम योजना के तहत केटल शेड व भूमि समतलीकरण के भुगतान में बतौर कमीशन मोहित सरपंच, विरेन्द्र तंवर ग्राम विकास अधिकारी व देवी सिंह कनिष्ठ सहायक समस्त ग्राम पंचायत रूल्याणी, पं. स. नेछवा, जिला सीकर द्वारा रिश्वत के रूप में क्रमशः 6400, 9600 व 6400 रुपये मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर एवं** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचंद** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1—मोहित पटवारी हाल सरपंच ग्राम पंचायत रूल्याणी, पं. स. नेछवा, जिला सीकर 2—विरेन्द्र तंवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूल्याणी, पं. स. नेछवा, जिला सीकर व 3—देवीसिंह हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रूल्याणी, पं. स. नेछवा, जिला सीकर को परिवादी से अपने—अपने हिस्से के 22 हजार 400 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल—फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135—02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ—साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।